लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

खण्ड–3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
फोन नम्बर–0771-2331385, Email-Id cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./मु.डी.ए.व्ही./प्रवेश/20 नवा रायपुर, दिनांक 17.03.2026

प्रति,

कलेक्टर
जिला–बलौदाबाजार,बलरामपुर,बस्तर,बेमेतरा
बिलासपुर,गरियाबंद,जांजगीर–चांपा,जशपुर,
कबीरधाम,कोण्डागांव,कोरबा,कोरिया,मुंगेली,
रायगढ़,सूरजपुर,सरगुजा,छत्तीसगढ़

विषय – राज्य की मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. शालाओं में प्रवेश संबंधी।

संदर्भ – छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं डी.ए.व्ही. कालेज ट्रस्ट मैनेजमेंट सोसाईटी के मध्य हुआ समझौता तथा समय–समय पर उच्च स्तरीय बैठकों में लिये गये निर्णय।

==00==

राज्य के ई.बी.बी. विकासखण्डों में पी.पी. मोड से 72 मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. शालायें संचातिल हो रही है। एम.ओ.यू. के अनुसार इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आर.टी.ई. एवं शासकीय कोटे से बच्चों के प्रवेश हेतु सीटे निर्धारित है। इन सीटों में प्रवेश हेतु पूर्व में उच्च कार्यालयों से समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। जिसमें दुर्बल एवं वंचित वर्ग के साथ–साथ, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नक्सल प्रभावित बच्चों एवं सुदूर अंचल में कार्य कर रहे केन्द्रीय तथा राज्य शासन के कर्मचारी/अधिकारी के बच्चों हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर प्रवेश दिया जाता है।

सचिव स्तर की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. शालाओं में पूर्व में के.जी. 1 से प्रवेश लिया जाता था उसे नर्सरी किया गया है।

सभी जिलों में भिन्न–भिन्न तिथियों में अलग–अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से इन शालाओं में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। सभी जिलों में प्रवेश की कार्यवाही में एकरूपता लाने हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है–

1. सभी जिलों में पूर्व की तरह विज्ञापन जारी कर पत्र के साथ दिये गये समय–सारणी अनुसार प्रवेश हेतु आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाना है।
2. आवेदन समाप्ति उपरांत, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. शालाओं में प्रवेश हेतु प्रचलित नियमों के तहत, आवेदनों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
3. प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत आर.टी.ई. पोर्टल में आवेदनों को प्राथमिकता क्रम आबंटित किया जायेगा।
4. समय–सारणी अनुसार दिये गये तिथि में एक सीट के अधिक आवेदन की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से लाटरी के निकालकर प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी।
5. पोर्टल से प्राप्त अंतिम सूची अनुसार ही बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

6. उपरोक्त प्रक्रिया केवल प्रारम्भिक कक्षा नर्सरी के लिये होगी। आगे की कक्षाओं में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु आफलाइन आवेदन आमंत्रित कर नियमानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुये प्रवेश की कार्यवाही की जानी है।
7. मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. शालाओं में पूर्व से शासकीय कोटे से अध्ययनरत बच्चों में से प्रत्येक कक्षा में कुल सीट क्षमता जो 90 है, के 25 प्रतिशत सीट अर्थात 23 बच्चों का नाम आर.टी.ई. पोर्टल में कक्षावार प्रविष्ट किया जाना है। हालांकि पूर्व में बच्चों में आर.टी.ई. और शासकीय कोटे अनुसार बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है, किंतु सभी बच्चे दुर्बल एवं वंचित वर्ग से संबंधित होने के कारण किसी भी 23 बच्चों का नाम आर.टी.ई. पोर्टल में प्रविष्ट किया जाना है। यह कार्य 30 अप्रेल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाना है।

संलग्न: समय–सारणी

प्रभारी संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./मु,डी,ए,व्ही,/प्रवेश/21 **नवा रायपुर, दिनांक 17.03.2026**

प्रतिलिपि,

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, डी.ए.व्ही इंस्टीट्यूट, छत्तीसगढ़ जोन A भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

ऑनलाईन आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही.स्कूलों में सत्र 2026–27 में प्रवेश की कार्यवाही हेतु समय–सारिणी

क्र.	कार्य	समय
1	विज्ञापन जारी किये जाने हेतु तिथि	25 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026
2	डी.ए.व्ही.स्कूल में आवेदन की तिथि	30 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026
3	आवेदन का सत्यापन एवं प्राथमिकता का निर्धारण समिति द्वारा	13 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026
4	आवेदन संशोधन	16 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026
5	लॉटरी एवं आबंटन	23 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026
6	स्कूल दाखिला	27 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर